दिनांक 06 मई, 2016 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

➢ **बैठक की समीक्षा सूडा के पत्रांक– 240/241/एन0यू0एल0एम0/2015–16(समीक्षा) दिनांक 26.04.2016** द्वारा निर्गत पत्र के अनुसार समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों से योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा की गयी।

सर्वप्रथम सचिव महोदय द्वारा बैठक में सम्बोधित करते हुये निम्नलिखित निर्देश दिये गये –

➢ सूडा/डूडा द्वारा संचालित सभी योजनओं में कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायें, विशेष कर आवास निर्माण एवं अवस्थापना सुविधा के कार्यों में।

➢ सभी संबंधित अधिकारी कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कराये जा रहें निर्मित आवासों की प्रगति के दृष्टिगत कार्यस्थल का निरीक्षण स्वयं भी करें।

➢ सभी आवासीय योजनाओं में पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं को पूर्ण कराकर उनका आवंटन सुनिश्चित् किया जाये।

➢ सभी शहर अपने क्षेत्रों में कराये गये कार्यों की प्रगति दर्शाने हेतु एक एलबम/फोटोग्राफ तैयार कराकर 15 दिनों में मुख्यालय को प्रेषित करें।

➢ समस्त जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि सूडा द्वारा समय–समय पर निर्गत होने वाले आदेश व मांगी जानी वाली सूचना सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर उपलब्ध रहती है। अतः सूडा की वेबसाइट प्रति दिन देखें व वांछित सूचना समय से भेजें।

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना

➢ आई0एच0एस0डी0पी0/बी0एस0यू0पी0 के अंतर्गत कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराये जाये। धनराशि उपलब्ध होने के उपरान्त भी यदि कार्य समय से पूर्ण नहीं कराये जाते है तो इसके लिए कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होगी। पुनः मूल्यवृद्धि के लिए भी कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होगी।

➢ सभी परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है उनको शीघ्र लभार्थियों को आवंटित करने एवं लाभार्थी अंशदान की धनराशि कार्यदायी संस्था को शीघ्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित् की जाये।

➢ अधिकांश जनपदों जहां कार्य प्रगति पर है, को निर्देशित किया गया कि वे जून, 2016 तक कार्य पूर्ण कराकर आवास आवंटन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दें। आवास आवंटन की सूचना सूडा मुख्यालय को भी उपलब्ध सुनिश्चित् करें।

➢ बी0एस0यू0पी0 के अंतर्गत जनपद–आगरा, इलाहाबाद,कानपुर नगर,लखनऊ, मथुरा, मेरठ एवं वाराणसी के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जो परियोजनाएं पूर्ण हो गयी है, उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यों को संबंधित नगरीय निकायों को हस्तान्तरित कर दे व भारत सरकार द्वारा दिये गये कम्पालिशन सार्टिफिकेट को पूर्ण कर जिलाधिकारी व संबंधित निकाय के अधिशासी अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए अविलम्ब सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

➢ योजनान्तर्गत सूडा द्वारा जनपदों को अवमुक्त की गयी धनराशि तत्काल संबंधित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

➢ आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत जनपद अलीगढ़, इलाहाबाद, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, भदोही, बिजनौर, बुलन्दशहर, चन्दौली, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, ललितपुर एवं सहारनपुर को अवगत कराया गया कि उन्हें जो धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, उसी धनराशि से आवासो के निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना है, उक्त के अतिरिक्त कोई धनराशि देय नहीं होगी।

(कार्यवाही सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

राजीव आवास योजना

राजीव आवास योजनान्तर्गत संबंधित जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि अपूर्ण परियोजनाओं को प्रत्येक दशा में मार्च,2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित् किया जाये तथा जनपदों को निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्था को ससमय धनराशि अवमुक्त की जाये। यदि कार्य समय से पूर्ण नहीं कराया जाता है तो इसके लिए जनपद एवं कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होगें। संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि उपयोगित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

आसरा योजना

- योजना की समीक्षा में इसकी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया, तथा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया तत्काल कार्य प्रारम्भ कराते हुये अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित् किया जाय एवं कार्यों में विलम्ब के लिए किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
- समीक्षा बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि यदि मूल्यवृद्धि की कोई डी0पी0आर0 प्रस्तुत की जाती है तो उसमें उक्त मूल्यवृद्धि के औचित्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।
- समस्त परियोजना अधिकारियों एवं सी0एण्ड डी0एस0 के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के पूर्ण कराने हेतु द्वितीय किस्त एवं अवस्थापना सुविधा की संशोधित डी0पी0आर0 स्वीकृत कराने तथा उसके सापेक्ष धनराशि अवमुक्त कराने की कार्यवाही सुनिश्चित् की जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि धनराशि उपलब्धता के आधार पर फेज़वार कार्य प्रारम्भ कराये तथा पहले उसी को पूर्ण करायें।

(संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

रिक्शा योजना

निम्नवत् निर्देश दिये गयेः–

1. जिन जनपदों (लखनऊ एवं कन्नौज) में लाभार्थियों को ई–रिक्शों का वितरण किया जा चुका है उन सभी लाभार्थी का नाम/पिता का नाम/पता/मोबाइल नम्बर सहित सुस्पष्ट सूची योजना के दिशा–निर्देश के सापेक्ष जनपदीय डूडा स्तर पर जिले की वेबसाइट के साथ ही सूडा की वेबसाइट पर प्रदर्शित करा दी जाये।
2. जिन जनपदों में (मेरठ, बरेली, मुरादाबाद) में ई–रिक्शे का वितरण निकट भविष्य में प्रस्तावित है उनके स्तर पर ई–रिक्शों के संग्रहण की व्यवस्था/ई–रिक्शों के संचालन का प्रशिक्षण/थर्ड पार्टी बीमा/वाहन पंजीकरण इत्यादि से सम्बन्धित समस्त आवश्यक व्यवस्था यथा समय सुनिश्चित किये जाने की कार्यवाही की जायें। बीमा तथा वाहन पंजीकरण हेतु आवश्यक धनराशि की मांग जनपद स्तर से सूचित की जायें।
3. ई–रिक्शों के वितरण से पूर्व सभी सम्भावित जनपद यह सुनिश्चित करें कि अभिकरण मुख्यालय से निर्धारित दो विविध प्रारूपों पर ई–रिक्शों की प्राप्ति एवं वितरण से सम्बन्धित सभी अपेक्षित सूचनाएं अंकित की जाएं। इन दोनों प्रारूपों पर परियोजना अधिकारी मोहर सहित हस्ताक्षर करें एवं परियोजना निदेशक से प्रति हस्ताक्षरित भी कराएं। जनपद इन ई–रिक्शों की स्टाक रजिस्टर पर

औपचारिक पृविष्टि(सम्पूर्ण विवरण सहित) दर्ज कर मुख्यालय को प्रेषणीय आपूर्ति इन्वायस के साथ प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

4. विगत दिनों शासन एवं अभिकरण द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में ई–रिक्शों के पात्र लाभार्थियों की अधिक से अधिक संख्या को लाभान्वित किए जाने हेतु सघन अभियान चलाकर उनकी संख्या में वृद्धि किए जाने सम्बन्धी दिशा–निर्देश के अनुक्रम में जनपदों के द्वारा कृत कार्यवाही एवं अद्यतन स्थिति का विवरण अद्यतन सूचित न किये जाने के प्रति खेद व्यक्त करते हुये त्वरित अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया।
5. मा0 मुख्यमंत्री जी के 'मेगा कॉल सेंटर' परियोजना के अन्तर्गत चयनित विभाग की ई–रिक्शा योजना के लाभार्थियों से सम्बन्धित (पूर्व निर्गत फार्मेट के अनुरूप) विवरण प्रेषित न किए जाने वाले जिलों को निर्देश दिये गये कि तत्काल सूचना प्रेषित की जायें।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित डूडा)

<u>रिक्शा चालकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना एवं निजी रिक्शा बीमा योजना</u>

निर्देशित किया गया कि विगत वर्षो से संचालित रिक्शा चालकों की दुर्घटना बीमा योजना, जो कि एक मुश्त दस वर्ष हेतु लागू थी की पूर्णावधि विगत 24.3.2016 को होने के कारण इस तिथि के पश्चात जनपदीय डूडा में प्राप्त दावा प्रकरणों को बीमा लाभ हेतु बीमा कम्पनी को संदर्भित न किया जाए।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित डूडा)

<u>सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005</u>

मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त में यह निर्देशित किया गया था कि सभी जनपद के जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर जनपदों में प्राप्त आवेदन पत्रों पर समयानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, अन्तरण के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि के अन्दर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दें। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं कृत कार्यवाही का विवरण नियमित रूप से अभिकरण मुख्यालय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। खेद का विषय है कि जनपदों द्वारा अपेक्षित सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। अभिकरण मुख्यालय पर अनापेक्षित प्रथम अपीलों के योजित होने के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये गये कि जनपद स्तर से यथा समय आवेदन पत्रों का निस्तारण न किये जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः यह निर्देशित किया कि जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर आवेदन पत्रों का यथा समय निस्तारण करें।

(कार्यवाही–जनसूचना अधिकारी/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

<u>अर्बन स्टेटिटिक्स फॉर एच आर एण्ड एसेस्मेंट्स (USHA)</u>

उषा, स्लम सर्वे के अन्तर्गत जनपदों में भारत सरकार के निर्देश के अनुरूप सर्वेक्षण बन्द किए जाने सम्बधी अभिकरण द्वारा पूर्व निर्गत निर्देश की समीक्षा की गयी। साथ ही जनपदों में इस योजना हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की भी समीक्षा की गयी। निर्देशित किया गया कि जनपदों में मुख्यालय के पूर्व निर्गत निर्देश के सापेक्ष तत्काल प्रभाव से सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य रोक दिया जायें। यदि जनपदों में कदाचित पूर्व सर्वेक्षित प्रपत्र ऑन लाइन डेटा फीड़िग हेतु रखे हो तो उन्हें तत्काल अप्ट्रान इण्डिया लि0 के प्रतिनिधि को हस्तगत करा दें। जनपदों में प्रश्नगत मद में पूर्व आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एक सप्ताह के अन्दर मुख्यालय को प्रेषित कर दें।

विधायी प्रकरण

निर्देशित किया गया कि निकट भविष्य में आहूत विधान सभा/विधान परिषद के सत्र के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न नियमों/नोटिसों तथा प्रश्नों के उत्तरालेख एवं तारांकित प्रश्नों की स्थिति में उत्तरालेख के साथ ही अनुपूरक सामग्री सुसंगत व तथ्यपरक हो तथा उत्तरालेख परियोजना निदेशक/जिलाधिकारी से हस्ताक्षरित कराकर यथासमय प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित डूडा)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0)

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उप घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना (Scheme of Shelter for Urban Homeless (SUH) के अंतर्गत जनपदों के परियोजना अधिकारियों को पुनः अवगत कराया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) संख्या–55/2003 संलग्न रिट याचिका (सिविल) संख्या–572/2003, ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य विचाराधीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण की सघन मानीटरिंग की जा रही है तथा समय–समय पर आदेश दिये जा रहे है। रिट याचिका (सिविल) संख्या–572/2003 के संदर्भ में स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना के अंतर्गत आश्रय उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख किया गया है। जिन शहरों में अभी तक आश्रय हेतु भूमि की उपलब्धता नहीं हो पायी है वहां विभिन्न सरकारी विभागों यथा–स्वास्थ्य, परिवहन एवं अन्य विभागों को सम्पर्क/समन्वय कर भूमि/भवन की उपलब्धता सुनिश्चित् कराने के निर्देश दिये गये साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि 05 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर प्राथमिकता के आधार पर भूमि/भवन की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित् करते हुय तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध करायें।
- शहरी पथ विक्रेतोओं को सहायता (Support to Urban Street Vendor(SUSV)) के संबंध में नगर निगम वाले शहरों को पुनः निर्देशित किया गया कि शहरी पथ विक्रेताओं की **पंजीकृत सूची** तथा निर्धारित प्रारूप पर सूचना अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/स्थानीय निकाय निदेशालय)

- स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अंतर्गत एन0यू0एल0एम0 के चयनित शहरों को निर्देशित किया गया कि तत्काल बैंकों को लक्ष्य के सापेक्ष अधिक से अधिक आवेदन पत्र प्रेषित कर स्वीकृत/वितरित कराना सुनिश्चित् किया जाय। समीक्षा में समूह ऋण की प्रगति अत्यन्त असंतोषजनक पायी गयी। सभी संबंधित शहरों को निर्देशित किया गया कि जिन शहरों में बैंकों द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है, उनका शाखावार विवरण मुख्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जाये।
- कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) के अंतर्गत लाभार्थियों के प्रमाणीकरण की कार्यवाही हेतु असेसिंग बॉडी से समन्वय स्थापित कर यथावश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित् किया जाये।
- जिन शहरों को प्रशिक्षण मद में लक्ष्य से अधिक धनराशि पूर्व में उपलब्ध करायी जा चुकी है, को निर्देशित किया गया कि वे लक्ष्य से अतिरिक्त धनराशि तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें। उक्त के अतिरिक्त व्यय धनराशि का विवरण

एम0पी0आर0/एम0आई0एस0 में अवश्य दर्शायें तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने के पश्चात प्रेषित करें।

- बैठक में निर्देश दिये गये कि जिन शहरों में अभी तक कम्प्यूटर/फर्नीचर इत्यादि क्रय नहीं किये जा सके ऐसे जनपद तत्काल कम्प्यूटर/फर्नीचर इत्यादि क्रय करना सुनिश्चित् करें।

- सभी जनपदों को निर्देशित किया गया कि एन0यू0एल0एम0 के अंतर्गत उपघटकवार व्यय की सूचना एम0पी0आर0 के साथ-साथ एम0आई0एस0 में भी अवश्य दर्शायी जाये इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2014-15 की सी0ए0 ऑडिट रिपोर्ट एक सप्ताह में सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये। **(कार्यवाही-समस्त डूडा)**

<u>आई0एल0सी0एस0</u>

- योजनान्तर्गत जिन जनपदों ने धनराशि वसूल करने हेतु वसूली प्रमाण पत्र नहीं जारी किया है, तत्काल आंकलन कराकर आर0सी0 जारी कराना सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में संबंधित जनपदों को एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुश्रवण करने के निर्देश भी दिये गये।

(कार्यवाही-संबंधित सूडा/डूडा)

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जिन 12 जनपदों के पास धनराशि अवशेष है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी लंबित है, को निर्देशित किया गया कि वे एक सप्ताह में लेखा मिलान कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और यदि धनराशि व्यय नहीं हो पायी है तो उसे तत्काल मुख्यालय को वापस करना सुनिश्चित करें।

शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों व अन्य मलिन बस्तियों में इण्टरलॉकिंग, नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना

- जनपदों को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध धनराशि के 70 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं समरूप भौतिक प्रगति उपलब्ध कराते हुए द्वितीय किस्त हेतु प्रस्ताव अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।
- विभिन्न परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की गयी प्रथम एवं द्वितीय किस्त की धनराशि के उपयोग के संबंध में निर्धारित प्रारुप 42-I के प्रारुप "क" एवं "ख" पर गुणवत्ता/विशिष्टियॉ /उपयोगिता प्रमाण पत्र की सूचना अवश्य उपलब्ध कराये जाने के निर्देश बैठक में दिये गये।

(कार्यवाही-संबंधित डूडा)

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक– 459 /110/तीन/97 **Vol-VII** दिनांक– 16/5/16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. निदेशक कैम्प/वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
6. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
8. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
9. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक